

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-28
सोमवार, 3 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक)

रोजगार योजनाएं

28. श्री संजय जाधव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देश के गरीबों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए लागू की जा रही योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) ऐसे रोजगार प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान शहरी बेरोजगारों के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या, जारी की गई निधियों, प्राप्त किये गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार इन योजनाओं का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है; और
- (ङ) यदि हां, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): महाराष्ट्र सहित सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार, जारी निधियों एवं प्राप्त लक्ष्यों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध-I-IV में दिया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघुव्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की थी। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। पीएमआरपीवाई के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2019 थी।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारंकित प्रश्न संख्या 28 के भाग (क) से (ड:) के उत्तर में संदर्भित विवरण

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

(क) 2016-17 के दौरान पीएमईजीपी की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	मार्जीन मनी वार्षिक लक्ष्य (रु. लाख)	उपयोग की गई मार्जीन मनी राजसहायता# (रु. लाख)	सहायित परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	जम्मू और कश्मीर	1541.26	2621.40	1492	11691
2	हिमाचल प्रदेश	1970.11	2185.27	941	6916
3	पंजाब	2004.09	3181.60	1266	9858
4	यूटी चंडीगढ़	100.00	82.84	47	376
5	उत्तराखंड	1140.93	2122.33	1345	9890
6	हरियाणा	3371.31	3383.53	1377	11016
7.	दिल्ली	300	182.41	119	952
8	राजस्थान	3500.99	4641.6	1749	13408
9	उत्तर प्रदेश	12981.52	14271.05	4074	36315
10	बिहार	6909.77	8336.51	3234	25872
11	सिक्किम	86.48	35.93	27	201
12	अरुणाचल प्रदेश	500	440.34	301	1984
13	नागालैंड	2083.90	2007.48	1018	7783
14	मणिपुर	1822.73	2162.78	1265	8419
15	मिजोरम	648.39	491.96	425	3400
16	त्रिपुरा	2268.97	3734.66	2297	17961
17	मेघालय	286.35	407.89	329	2632
18	असम	5003.18	4910.38	6028	31498
19	पश्चिम बंगाल	5680.30	6270.32	3528	26604
20	झारखंड	2165.73	2654.35	1300	10400
21	ओडिशा	7201.65	6848.96	3029	20392
22	छत्तीसगढ़	4493.3	4070.73	1598	12856
23	मध्य प्रदेश	8527.32	8346.06	1940	15520
24	गुजरात*	7398.46	7561.61	1386	11629
25	महाराष्ट्र **	2111.30	6001.36	2325	17799
26	आंध्र प्रदेश	4336.58	4916.08	1357	14148
27	तेलंगाना	2004.86	2561.72	664	6445
28	कर्नाटक	7941.62	11609.56	3575	30286
29	गोवा	371.62	191.44	90	660
30	लक्षद्वीप	50	00	00	00
31	केरल	3946.06	3350.68	1584	13068
32	तमिलनाडु	5291.23	8213.92	2941	25764
33	पुडुचेरी	150	103.65	66	699
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	193.46	195	1398
		108290.01	128093.86	52912	407840

पिछले वर्ष की उपयोग न की गई शेष निधियों सहित

* दमन एवं दीव सहित

** दादर एवं नगर हवेली सहित

स्रोत: सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(ख) 2017-18 के दौरान पीएमईजीपी की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	मार्जीन मनी वार्षिक लक्ष्य (रु. लाख)	उपयोग की गई मार्जीन मनी राजसहायता# (रु. लाख)	सहायित परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	जम्मू और कश्मीर	4772.84	6913.15	3753	30024
2	हिमाचल प्रदेश	1785.19	2042.5	886	7088
3	पंजाब	3772.84	3930.46	1520	12160
4	यूटी चंडीगढ़	100.00	90.07	45	360
5	उत्तराखंड	2133.95	2880.98	1613	12904
6	हरियाणा	3772.84	4167.04	1718	13744
7.	दिल्ली	200.00	150.65	115	920
8	राजस्थान	4909.26	4929.04	1577	12616
9	उत्तर प्रदेश	13157.41	16866.47	5432	43456
10	बिहार	5653.09	6558.85	2307	18456
11	सिक्किम	200.00	46.36	37	296
12	अरुणाचल प्रदेश	500.00	309.42	209	1672
13	नागालैंड	2728.96	2672.15	930	7440
14	मणिपुर	1434.32	1383.87	600	4800
15	मिजोरम	945.66	274.05	249	1992
16	त्रिपुरा	2283.75	1892.3	1116	8928
17	मेघालय	1420.32	118.27	75	600
18	असम	5351.99	2362.48	2282	18256
19	पश्चिम बंगाल	3475.31	3891.37	1366	10928
20	झारखंड	2070.37	2439.53	1111	8888
21	ओडिशा	4962.97	5680.65	2399	19192
22	छत्तीसगढ़	2816.67	3398.4	1463	11704
23	मध्य प्रदेश	7587.04	7631.41	1804	14432
24	गुजरात*	9909.26	12883.63	1876	15008
25	महाराष्ट्र **	6855.56	8749.73	3329	26632
26	आंध्र प्रदेश	3933.95	5336.1	1527	12216
27	तेलंगाना	4611.73	4030.21	1190	9520
28	कर्नाटक	5462.97	6477.94	2115	16920
29	गोवा	197.53	149.07	50	400
30	लक्षद्वीप	50.00	00	00	00
31	केरल	2333.72	2910.44	1347	10776
32	तमिलनाडु	7260.50	9717.58	4095	32760
33	पुडुचेरी	100.00	78.95	44	352
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	250.00	276.95	218	1744
		117000	131240.07	48398	387184

पिछले वर्ष की उपयोग न की गई शेष निधियों सहित

* दमन एवं दीव सहित

** दादर एवं नगर हवेली सहित

स्रोत: सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(ग) 2018-19 के दौरान पीएमईजीपी की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	आबंटित मार्जीन मनी (आरई) (रु. लाख में)	उपयोग की गई मार्जीन मनी राजसहायता# (रु. लाख)	स्थापित यूनिटों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	338.64	318.52	229	1832
2	आंध्र प्रदेश	6242.74	9046.31	2220	17760
3	अरुणाचल प्रदेश	871.6	419.88	280	2240
4	असम	12657.7	4167.41	3737	29896
5	बिहार	10869.49	9842	3303	26424
6	छत्तीसगढ़	6339.11	6784.52	3094	24752
7	दिल्ली	282.96	157.13	132	1056
8	गोवा	605.15	237.23	78	624
9	गुजरात*	14417.95	25443.87	3500	28000
10	हरियाणा	4664.1	5178.43	2165	17320
11	हिमाचल प्रदेश	3211.4	4135.61	1399	11192
12	जम्मू और कश्मीर	7745.12	15222	7529	60232
13	झारखंड	6193.49	4535.69	1797	14376
14	कर्नाटक	8439.66	10725.32	3657	29256
15	केरल	4167.38	5383.93	2486	19888
16	लक्षद्वीप	47.16	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	11952.9	10002.28	2526	20208
18	महाराष्ट्र **	10833.6	15272.02	5642	45136
19	मणिपुर	3144.19	2041.06	1291	10328
20	मेघालय	3253.7	587.14	390	3120
21	मिजोरम	2645.45	1514.9	1123	8984
22	नागालैंड	3425.5	2349.67	1208	9664
23	ओडिशा	7719.19	7856.18	3070	24560
24	पुडुचेरी	191.48	150.7	76	608
25	पंजाब	4617.17	4766.68	1801	14408
26	राजस्थान	7743.65	7199.28	2359	18872
27	सिक्किम	238.64	112.35	55	440
28	तमिलनाडु	10438.88	13290.95	5185	41480
29	तेलंगाना	7250.96	7180.89	2051	16408
30	त्रिपुरा	3165.99	2314.24	1179	9432
31	यूटी चंडीगढ़	94.32	63.91	28	224
32	उत्तर प्रदेश	22171.59	19033.28	5243	41944
33	उत्तराखंड	3475.4	4098.38	2181	17448
34	पश्चिम बंगाल	7423.74	7568.78	2413	19304
		196880	207000.54	73427	587416

पिछले वर्ष की उपयोग न की गई शेष निधियों सहित

* दमन एवं दीव सहित

** दादर एवं नगर हवेली सहित

स्रोत: सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(घ) 2019-20 (31.12.2019 को) के दौरान पीएमईजीपी की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	आबंटित मार्जीन मनी राजसहायता (रु. लाख)	उपयोग की गई मार्जीन राजसहायता# (रु. लाख)	सहायित परिय की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	286.65	71.43	40	320
2	आंध्र प्रदेश	5224.63	5132.79	1257	10056
3	अरुणाचल प्रदेश	477.75	176.02	112	896
4	असम	10659.30	1155.06	947	7576
5	बिहार	14824.27	2849.77	921	7368
6	छत्तीसगढ़	8336.18	2884.51	1288	10304
7	दिल्ली	286.65	80.25	56	448
8	गोवा	286.65	126.04	47	376
9	गुजरात*	10101.08	19587.95	2706	21648
10	हरियाणा	6023.69	2529.18	1089	8712
11	हिमाचल प्रदेश	3545.04	2123.9	774	6192
12	जम्मू और कश्मीर	6330.35	5581.95	2542	20336
13	झारखंड	8285.68	1387.33	601	4808
14	कर्नाटक	8900.92	6011.85	2035	16280
15	केरल	4962.72	2881.46	1269	10152
16	लक्षद्वीप	47.77	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	15642.46	3394.31	851	6808
18	महाराष्ट्र **	11909.55	6610.89	2504	20032
19	मणिपुर	2753.74	602.77	356	2848
20	मेघालय	3024.73	256.56	146	1168
21	मिजोरम	2156.52	380.05	275	2200
22	नागालैंड	3344.36	806.61	278	2224
23	ओडिशा	10307.0	3308.02	1142	9136
24	पुडुचेरी	143.32	82.45	40	320
25	पंजाब	5948.48	2197.48	931	7448
26	राजस्थान	10195.23	4250.23	1456	11648
27	सिक्किम	191.10	85.8	38	304
28	तमिलनाडु	9903.76	7175.86	2863	22904
29	तेलंगाना	9633.07	4029.67	1136	9088
30	त्रिपुरा	2458.09	487.03	245	1960
31	यूटी चंडीगढ़	95.55	20.45	10	80
32	उत्तर प्रदेश	25763.19	8101.53	2178	17424
33	उत्तराखंड	3954.71	1533.59	860	6880
34	पश्चिम बंगाल	8705.81	4355.57	1234	9872
		214710.0	100258.36	32227	257816

पिछले वर्ष की उपयोग न की गई शेष निधियों सहित

* दमन एवं दीव सहित

** दादर एवं नगर हवेली सहित

स्रोत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

(क) डीडीयू-जीकेवाई के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	वि.व. 16-17		वि.व. 17-18		वि.व. 18-19		वि.व. 19-20 दिसम्बर, 2019 तक	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	12787	18966	17341	10954	26383	24894	10223	6106
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	8202	1479	9936	3464	16752	7397	9080	11842
4	बिहार	8608	4216	6972	4859	10776	5851	9497	4381
5	छत्तीसगढ़	7355	1987	3111	539	6939	2583	7068	3396
6	गुजरात	2254	2075	528	160	5146	1482	2446	1896
7	हरियाणा	10512	586	2281	5832	1734	3596	1642	5657
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	350	0	2845	526	1468	651
9	जम्मू और कश्मीर	7300	6453	1137	1424	4283	631	7083	1203
10	झारखंड	8360	2355	5526	2375	9736	3585	9037	6681
11	कर्नाटक	10909	4432	8871	4752	7542	5411	3580	5048
12	केरल	11246	5598	10587	4175	13736	9656	8815	5751
13	मध्य प्रदेश	10974	3546	5353	1823	9350	2094	7478	1732
14	महाराष्ट्र	4140	3694	7082	7390	18805	4500	8966	7113
15	मणिपुर	0	0	0	0	574	0	864	466
16	मेघालय	0	0	0	0	829	253	1033	424
17	मिजोरम	0	0	0	0	157	0	396	302
18	नागालैंड	0	0	0	0	304	0	797	353
19	ओडिशा	32108	45726	23520	14035	41690	31481	32870	26072
20	पंजाब	0	0	4987	563	2782	1443	1596	972
21	राजस्थान	3837	3397	2599	693	10291	3381	10895	4338
22	सिक्किम	0	70	0	0	64	64	328	32
23	तमिलनाडु	113	30780	519	765	3152	185	7423	1958
24	तेलंगाना	8969	9150	12470	9048	16722	15604	5161	6131
25	त्रिपुरा	1197	342	1530	526	1816	2093	1231	304
26	उत्तर प्रदेश	11203	2052	4795	892	18260	4839	19165	4701
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	1145	253	838	551
28	पश्चिम बंगाल	2512	979	2032	1518	8625	3700	5806	2801
	योग	162586	147883	131527	75787	240438	135502	174786	110862

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ख) डीडीयू-जीकेवाई के तहत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र जारी निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (15.1.2020 तक)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-			
2	आंध्र प्रदेश	82.900	5874.000	7247.000	211.727
3	अरुणाचल प्रदेश	61.000	1056.462	113.500	
4	असम	10046.831	8669.000	5128.600	10433.000
5	बिहार	3606.000	9660.000	18294.000	
6	चंडीगढ़				
7	छत्तीसगढ़	8947.200			13913.066
8	दादर एवं नगर हवेली				
9	दिल्ली				
10	गोवा	60.000			
11	गुजरात	154.293	1766.100		8205.600
12	हरियाणा	58.038	3098.891	5662.000	
13	हिमाचल प्रदेश	3670.435		183.600	
14	जम्मू और कश्मीर	7360.088	5974.970	12933.600	23745.600
15	झारखंड	6464.429	7186.398	1160.000	
16	कर्नाटक	256.738	8280.863		
17	केरल	4711.713	3347.286	9842.500	
18	मध्य प्रदेश	7546.455		3799.752	11558.000
19	महाराष्ट्र	96.065		5327.000	21925.000
20	मणिपुर	461.000		2240.000	31.917
21	मेघालय	461.000	574.543	1884.000	142.650
22	मिजोरम	460.500		1431.588	22.860
23	नागालैंड	461.000		2238.000	33.585
24	ओडिशा	2195.443	14028.000	13889.600	16810.715
25	पांडुचेरी				870.000
26	पंजाब	11.300		1082.000	308.500
27	राजस्थान	63.000	5785.000	3282.000	
28	सिक्किम	460.500		60.500	
29	तमिलनाडु	2590.999		5291.000	7459.000
30	तेलंगाना	2190.620	3875.580		21597.000
31	त्रिपुरा	3838.949		3785.600	
32	उत्तर प्रदेश	549.559		7115.940	765.000
33	उत्तराखंड	1891.121		2621.000	
34	पश्चिम बंगाल	8890.369		5869.000	317.393
35	बहु राज्य	441.096	31.471		554.032
	योग	78088.641	79208.564	120481.780	138904.645

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए)

(क) सृजित मानव दिवस (आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य	सृजित मानव दिवस (आंकड़े लाख में)			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (28.01.2020 तक)
1	आंध्र प्रदेश	2060.90	2120.92	2465.48	1577.52
2	अरुणाचल प्रदेश	85.38	42.80	68.70	56.63
3	असम	466.09	480.86	533.08	454.97
4	बिहार	858.36	817.20	1233.83	1028.31
5	छत्तीसगढ़	885.94	1199.29	1386.02	1020.27
6	गोवा	1.26	0.99	0.15	0.15
7	गुजरात	271.06	353.09	419.61	277.08
8	हरियाणा	84.91	90.34	77.86	65.21
9	हिमाचल प्रदेश	236.61	220.06	285.20	200.95
10	जम्मू और कश्मीर	315.59	370.90	368.90	149.47
11	झारखंड	707.44	592.74	536.64	538.69
12	कर्नाटक	914.06	856.99	1045.00	932.53
13	केरल	684.48	619.50	975.13	609.78
14	मध्य प्रदेश	1130.39	1622.47	2029.73	1590.80
15	महाराष्ट्र	708.94	825.32	846.01	493.67
16	मणिपुर	119.03	61.25	117.39	162.48
17	मेघालय	282.54	291.88	342.15	235.34
18	मिजोरम	168.23	144.38	181.22	163.14
19	नागालैंड	290.71	200.03	132.85	95.29
20	ओडिशा	774.48	922.11	830.30	791.44
21	पंजाब	157.73	223.11	204.47	193.22
22	राजस्थान	2595.93	2397.05	2941.52	2798.12
23	सिक्किम	46.12	34.61	33.55	22.13
24	तमिलनाडु	3999.42	2388.81	2576.97	2103.71
25	तेलंगाना	1082.19	1147.73	1177.29	975.41
26	त्रिपुरा	460.52	175.97	253.02	275.88
27	उत्तर प्रदेश	1575.01	1815.15	2121.39	1986.43
28	उत्तराखंड	236.71	223.02	221.81	132.38
29	पश्चिम बंगाल	2355.46	3125.55	3382.99	1638.45
30	अण्डमान और निकोबार	4.12	1.90	1.94	1.77
31	लक्षद्वीप	0.00	0.06	0.10	0.03
32	पुडुचेरी	5.37	7.26	6.64	6.13
	योग	23565.00	23373.36	26796.95	20577.37

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ख) एमजीएनआरईजीए के तहत व्यक्तियों को प्रदान किया गया रोजगार

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य	व्यक्तियों को प्रदान किया गया रोजगार			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (28.01.2020 तक)
1	आंध्र प्रदेश	65.85	65.13	69.09	60.29
2	अरुणाचल प्रदेश	2.22	1.48	1.69	1.52
3	असम	23.29	26.04	24.62	22.73
4	बिहार	27.94	27.02	33.83	29.74
5	छत्तीसगढ़	39.98	42.77	45.69	39.88
6	गोवा	0.07	0.07	0.01	0.01
7	गुजरात	12.80	13.94	15.17	11.45
8	हरियाणा	4.18	3.96	3.27	3.00
9	हिमाचल प्रदेश	6.91	6.71	7.36	6.14
10	जम्मू और कश्मीर	8.68	10.11	9.83	5.18
11	झारखंड	24.70	19.08	16.24	15.94
12	कर्नाटक	44.15	38.91	39.35	38.11
13	केरल	16.44	14.71	17.08	15.60
14	मध्य प्रदेश	52.03	60.98	66.76	54.52
15	महाराष्ट्र	27.26	31.40	32.76	23.56
16	मणिपुर	5.48	5.27	5.70	5.63
17	मेघालय	5.46	5.91	6.80	6.03
18	मिजोरम	2.14	2.07	2.03	2.03
19	नागालैंड	5.15	4.54	4.17	3.99
20	ओडिशा	32.82	37.55	33.68	31.15
21	पंजाब	6.51	8.09	8.24	8.20
22	राजस्थान	66.52	65.31	75.37	74.57
23	सिक्किम	0.83	0.74	0.72	0.61
24	तमिलनाडु	76.16	68.29	65.25	61.55
25	तेलंगाना	44.34	43.44	42.52	38.74
26	त्रिपुरा	9.30	7.07	7.39	7.43
27	उत्तर प्रदेश	62.26	60.40	61.51	58.97
28	उत्तराखंड	7.05	6.63	6.39	4.95
29	पश्चिम बंगाल	85.29	81.01	74.43	60.00
30	अण्डमान और निकोबार	0.15	0.08	0.07	0.06
31	लक्षद्वीप	0.0001	0.001	0.003	0.001
32	पुडुचेरी	0.34	0.41	0.36	0.39
	कुल	766.28	759.15	777.39	691.97

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग) 2017-18 से 2018-19 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा राज्यों को जारी केंद्रीय निधियां

2017-18 से 2018-19 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा राज्यों को जारी केंद्रीय निधियां					
(रुपए लाख में)					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2016-17 *	2017-18 #	2018-19 \$	2019-20 (27.01.2020 तक)
1	आंध्र प्रदेश	394021.19	512763.00	671458.36	633076.97
2	अरुणाचल प्रदेश	15675.99	20679.65	19800.64	10756.62
3	असम	125459.79	112366.54	105037.23	133899.64
4	बिहार	166740.56	246888.44	289194.25	303305.89
5	छत्तीसगढ़	223193.55	289885.21	308997.05	243466.24
6	गुजरात	64323.81	82505.07	106079.98	70790.14
7	हरियाणा	28771.33	30140.64	35625.15	29216.23
8	हिमाचल प्रदेश	38860.83	58684.46	78034.36	52378.99
9	जम्मू और कश्मीर	80408.52	125417.69	79334.12	82561.94
10	झारखंड	167914.17	135264.57	154629.50	116411.94
11	कर्नाटक	225864.88	295632.54	304975.56	496442.43
12	केरल	158248.96	185406.40	235473.91	252208.28
13	मध्य प्रदेश	344891.62	376889.92	470364.71	420758.46
14	महाराष्ट्र	165708.93	185828.74	201918.84	160913.19
15	मणिपुर	34370.41	15778.89	28698.66	39599.61
16	मेघालय	86069.23	87060.44	79654.70	73864.01
17	मिजोरम	14451.26	20081.04	40288.92	48143.42
18	नागालैंड	50152.80	110492.88	19560.20	29853.75
19	ओडिशा	189526.84	219834.66	222418.39	225638.04
20	पंजाब	49073.46	61895.86	60000.32	73753.12
21	राजस्थान	481816.86	472828.41	549230.58	579807.15
22	सिक्किम	13262.56	10571.15	9762.58	6044.77
23	तमिलनाडु	455277.91	583166.13	498193.66	491135.58
24	तेलंगाना	180684.74	253920.33	297094.62	197312.59
25	त्रिपुरा	101629.14	40440.50	44462.89	65999.95
26	उत्तर प्रदेश	391584.94	369177.65	547575.02	502185.50
27	उत्तराखंड	51435.08	71685.06	61194.75	40695.54
28	पश्चिम बंगाल	537722.79	592702.95	737344.61	708882.78
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	801.40	966.07	761.93	186.98
30	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	484.00	0.00
31	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
32	लक्षद्वीप	0.00	26.71	15.97	23.82
33	पुडुचेरी	346.92	1569.03	1475.36	1534.03
34	गोवा	425.85	56.05	48.83	216.76
योग		4838716.30	5570606.67	6259189.67	6091064.37
* वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सभी एनईएफएमएस राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के असफल एफटीओ के रु. 6268.00 लाख शामिल हैं।					
# वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वापस किए गए अस्वीकृत सौदे की राशि के कारण मजदूरी व्यय की तुलना में घटाए गए 1,36890.498 लाख रुपए सहित।					
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान \$ 156046.92 लाख रुपए के विफल लेनदेन सहित।					

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

अनुबंध -IV

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 2016-17 से 2019-20 के दौरान (ईएसटीएंडपी) के अंतर्गत नियोजित कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की वर्ष-वार, राज्य-वार संख्या, के ब्यौरे

27.01.2020 को

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	संचयी
1	आंध्र प्रदेश	35882	12010	54610	6	102508
2	अरुणाचल प्रदेश	0	113	622	1	736
3	असम	293	1284	452	426	2455
4	बिहार	176	1546	826	625	3173
5	छत्तीसगढ़	5858	6476	5182	1041	18557
6	गोवा	66	639	1255	27	1987
7	गुजरात	3920	6388	13213	2727	26248
8	हरियाणा	0	685	2945	336	3966
9	हिमाचल प्रदेश	86	100	417	100	703
10	जम्मू और कश्मीर	0	25	115	84	224
11	झारखंड	2700	20795	6859	827	31181
12	कर्नाटक	637	898	0	0	1535
13	केरल	443	2413	4509	1392	8757
14	मध्य प्रदेश	38060	3039	32501	2784	76384
15	महाराष्ट्र	11768	6083	29227	25715	72793
16	मणिपुर	0	0	109	90	199
17	मेघालय	317	111	210	0	638
18	मिजोरम	147	91	1433	564	2235
19	नागालैंड	341	1749	0	0	2090
20	ओडिशा	2467	776	0	0	3243
21	पंजाब	0	1139	1473	1176	3788
22	राजस्थान	0	33	2725	1009	3767
23	सिक्किम	0	0	248	0	248
24	तमिलनाडु	0	1156	2963	170	4289
25	तेलंगाना	1861	10013	5070	989	17933
26	त्रिपुरा	0	2	228	6	236
27	उत्तर प्रदेश	42174	30058	738	234	73204
28	उत्तराखंड	1731	0	1076	77	2884
29	पश्चिम बंगाल	2691	6919	8954	3554	22118
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	283	875	262	106	1526
32	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	21	0	21
35	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
	योग	151901	115416	178243	44066	489626

स्रोत: आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय

(ख) वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु सहाय्यित लाभार्थियों की संख्या का वर्ष-वार/राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	संचयी
1	आंध्र प्रदेश	13660	21799	21260	10704	67423
2	अरुणाचल प्रदेश	0	47	17	5	69
3	असम	58	722	571	176	1527
4	बिहार	1357	1806	2069	977	6209
5	छत्तीसगढ़	3698	6671	6055	2279	18703
6	गोवा	10	32	25	15	82
7	गुजरात	2704	2293	3366	2723	11086
8	हरियाणा	180	865	910	220	2175
9	हिमाचल प्रदेश	362	653	526	154	1695
10	जम्मू और कश्मीर	794	1492	1462	106	3854
11	झारखंड	636	1528	1130	909	4203
12	कर्नाटक	1962	1049	1590	556	5157
13	केरल	225	924	2006	880	4035
14	मध्य प्रदेश	12999	19218	15001	1946	49164
15	महाराष्ट्र	7297	7669	9589	3303	27858
16	मणिपुर	0	0	0	0	0
17	मेघालय	32	10	15	7	64
18	मिजोरम	520	461	150	113	1244
19	नागालैंड	24	5	51	82	162
20	ओडिशा	4823	5777	4808	2310	17718
21	पंजाब	1717	1044	1775	613	5149
22	राजस्थान	3228	9977	5213	498	18916
23	सिक्किम	2	13	18	0	33
24	तमिलनाडु	21749	41276	45366	29364	137755
25	तेलंगाना	2283	2289	1945	1262	7779
26	त्रिपुरा	53	38	77	19	187
27	उत्तर प्रदेश	10234	13115	9918	6374	39641
28	उत्तराखंड	916	811	909	417	3053
29	पश्चिम बंगाल	1191	1087	1024	602	3904
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	3	3	6
32	डी एंड एन हवेली	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	56	4	14	1	75
	योग	92770	142675	136863	66618	438926

स्रोत: आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय

(ग) वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत से एसएचजी को संवितरित किए गए ऋणों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	Cumulative
1	आंध्र प्रदेश	63538	67918	48369	45476	225301
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0	2
3	असम	63	366	475	204	1108
4	बिहार	238	103	216	353	910
5	छत्तीसगढ़	1440	1867	1834	953	6094
6	गोवा	0	0	0	0	0
7	गुजरात	49	1071	1907	1475	4502
8	हरियाणा	113	0	94	24	231
9	हिमाचल प्रदेश	46	104	140	58	348
10	जम्मू और कश्मीर	72	22	1	0	95
11	झारखंड	51	271	274	246	842
12	कर्नाटक	1234	2666	196	70	4166
13	केरल	4774	5972	7046	2116	19908
14	मध्य प्रदेश	1610	3315	2967	750	8642
15	महाराष्ट्र	1195	2919	8236	4545	16895
16	मणिपुर	70	122	17	1	210
17	मेघालय	0	0	1	0	1
18	मिजोरम	21	18	23	10	72
19	नागालैंड	21	0	0	0	21
20	ओडिशा	406	1924	2414	1243	5987
21	पंजाब	1	2	1	0	4
22	राजस्थान	198	64	784	244	1290
23	सिक्किम	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	63775	4729	9416	5760	83680
25	तेलंगाना	29836	25661	22165	9361	87023
26	त्रिपुरा	0	12240	18	9	12267
27	उत्तर प्रदेश	106	1273	1224	500	3103
28	उत्तराखंड	2	4	9	18	33
29	पश्चिम बंगाल	1747	3518	6968	4287	16520
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	4	8	0	0	12
32	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	0	0	44	7	51
	योग	170610	136157	114841	77710	499318

स्रोत: आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय

(घ) वित्त वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत राज्यों को जारी निधियों के राज्य-वार ब्यौरे

27.01.2020 को

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	संग्रह
1	आंध्र प्रदेश	56.30	36.31	30.20	98.45	221.26
2	अरुणाचल प्रदेश	1.43	6.22	3.66	6.59	17.91
3	असम	0.00	13.00	0.00	14.86	27.86
4	बिहार	22.38	0.00	42.52	31.08	95.97
5	छत्तीसगढ़	13.46	34.56	21.15	0.00	69.18
6	गोवा	0.23	2.08	4.85	3.40	10.57
7	गुजरात	0.00	0.00	30.94	6.00	36.94
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	29.63	29.63
9	हिमाचल प्रदेश	3.56	8.05	1.69	6.81	20.12
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	1.89	3.23	11.56	16.68
11	झारखंड	15.36	44.89	11.24	16.28	87.77
12	कर्नाटक	0.00	23.08	0.00	16.46	39.53
13	केरल	0.00	25.19	18.60	24.09	67.88
14	मध्य प्रदेश	28.80	41.75	21.60	48.80	140.95
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	3.65	3.65
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	20.93	12.73	6.82	5.82	46.29
19	नागालैंड	8.45	10.87	3.43	3.42	26.18
20	ओडिशा	6.56	17.05	16.24	14.32	54.18
21	पंजाब	0.00	10.07	0.00	0.00	10.07
22	राजस्थान	7.92	28.51	31.10	38.11	105.63
23	सिक्किम	0.97	2.31	1.12	2.44	6.84
24	तमिलनाडु	58.45	78.85	68.53	81.36	287.19
25	तेलंगाना	4.70	32.49	15.56	31.60	84.34
26	त्रिपुरा	0.00	8.93	6.33	7.88	23.14
27	उत्तर प्रदेश	22.66	71.95	53.38	98.56	246.55
28	उत्तराखंड	5.38	8.00	7.75	7.32	28.46
29	पश्चिम बंगाल	8.31	32.96	35.94	25.79	103.01
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06
31	चंडीगढ़	0.00	1.99	1.82	0.00	3.81
32	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
34	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पुडुचेरी	2.79	2.97	1.97	2.97	10.70
	योग	289.71	556.73	439.85	637.24	1923.52

टिप्पणी: राज्यों को गत वर्षों में उपलब्ध न किए गए व्यय के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं।

स्रोत: आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय